Financial Express 4/12/2025

APPAREL EXPORT PROMOTION COUNCIL

Regd. Office: A-223, Okhla Industrial Area, Phase-1, New Delhi-110020
CIN: U74899DL1978NPL008877 Telephone: 011- 40501798
Email: aepcokhla@aepcindia.com; Website: www.aepcindia.com

NOTICE

The 46th Annual General Meeting (AGM) of the Council will be held on **30th day of December, 2025,** Tuesday at 11.00 A.M through Video Conferencing ("VC")/ Other Audio Visual Means ("OAVM") Facility to transact the Business, as set out in the Notice of the 46th AGM, in compliance with the applicable provisions of the Companies Act, 2013 and Rules framed there under read with General Circular Nos.14/2020, 17/2020, 20/2020, 2/2021, 2/2022, 09/2023, 09/2024 and 03/2025 dated 8th April 2020, 13th April 2020, 5th May 2020, 13th January, 2021 , 5th May 2022, 25th September 2023, 19th September, 2024 and 22nd September, 2025 respectively and other applicable circulars issued by the Ministry of Corporate Affairs ("MCA Circular/s"), without the physical presence of the Members at a common venue.

In terms of MCA Circular/s, the Notice of the 46th AGM and the Annual Report for the year 2024-25 including the Audited Financial Statements for the year ended 31st March 2025 ("Annual Report") has been sent by email to those Members whose email addresses are registered with the Council. The requirements of sending physical copy of the Notice of the 46th AGM and Annual Report to the Members have been dispensed with, vide MCA Circular/s.

In pursuant to section 108 read with Rule 20 (2) of the Companies (Management & Administration) Amendment, Rules 2015 all the resolutions to be carried at 46th Annual General Meeting shall be concluded through E-Voting. Accordingly, it is requested to refer to ***"Rules of E-Voting for the resolutions other than the election of Executive Committee members"*** and ***"Rules for Election of Executive Committee Members"***, from Council's website i.e., www.aepcindia.com.

It may also be noted that pursuant to the Circular No. 14/2020 dated April 08, 2020, issued by the Ministry of Corporate Affairs, the facility to appoint proxy to attend and cast vote is not available for this AGM. However, the Body Corporate are entitled to appoint authorized representatives to attend the AGM through VC/OAVM and participate there at and cast their votes through e-voting.

It may please be noted that Department of Commerce, Ministry of Commerce & Industry, Government of India vide letter No F. 13/3/2023-E & MDA-DoC dated 25.07.2024 issued the final Article of Association/Bye-laws for adoption by EPCs/FIEO and also instructed to hold the elections as per new model bye-laws only.

Accordingly, the Executive Committee of the Council in its meeting held on 1st December, 2025 (Monday) decided to hold 46th Annual General Meeting of the Council on 30th December, 2025 (Tuesday) at 11.00 A.M through Video Conferencing for conducting the election of the Executive Committee Members, who were liable to retire at the 46th AGM, as per the new Model Article of Association/Bye-Laws.

Members contesting the election may kindly refer and download model bye-laws, nomination form and election rules for the election of Executive Committee Members, from Council's website i.e., www.aepcindia.com.

Members can submit their nomination papers physically at Registered office of the Council, for contesting election to the Office of Executive Committee after depositing Rs. 1,00,000/- (Rupees one lac only), up to the closing of business hours on **16.12.2025** or may submit nomination papers through E-mail at sumit.gupta@aepcindia.com along with electronic deposit/ details of Rs. 1,00,000/- (Rupees one lac only) by closing of hours on **16.12.2025**. This deposit shall be refunded only to such member who either succeeds in getting elected as a Member to the Executive Committee or gets more than 25% of the total valid votes cast by E-Voting.

Further, pursuant to Rule 14 of Election Rules for Election of Executive Committee Members, a candidate can withdraw his/her nomination from contesting election to Executive Committee Member in Form-II with the same signature made on nomination Form. Such withdrawal should reach registered office/regional office of the council up to close of business hours on **19.12.2025** i.e within three days from the last date of receipt of nomination or may submit Form-II for withdrawal of nomination papers through E-mail at sumit.gupta@aepcindia.com by closing of hours on **19.12.2025.** In the event of withdrawal of nomination within the stipulated time period provided here in above, the money deposited for submitting nomination shall be refunded.

As per the provisions of the paragraph 2.77 & 2.78 of the Hand Book of Procedure of FTP 2023 and provision of Section 108 of the Companies Act, 2013 (the Act) read with Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014 as amended by the Companies (Management and Administration) Amendment Rules, 2015 (the "Rules"), the council is pleased to provide e-voting facility to its members enabling them to cast their vote at the 46th AGM by electronic means, on all the resolutions, as set out in the notice of AGM.

The facility of casting the votes by the members using an electronic voting system from place other than AGM ("remote e-voting") and e voting at the meeting will be provided by the National Securities Depository Limited ("NSDL").

The details pursuant to the provisions of the Act and Rule 20 of the Rules are given hereunder:

a) All resolutions (including election of executive Committee members) as set out in the notice of AGM dated **01.12.2025**, shall be transacted by electronic means only.

b) The remote e-voting shall begin on **27.12.2025** (Saturday), at 9.00 AM and ends on **29.12.2025** (Monday) at 5:00 P.M. The remote e-voting shall not be allowed beyond 05:00 P.M. on **29.12.2025.**

c) The cut- off date for determining the eligibility to vote by remote e- voting as well as voting at the AGM is 23.12.2025 (Tuesday), and members whose name is recorded in the register maintained by the Council as on the Cut- off date and registered exporters, who fulfill the eligibility criteria provided in the model bye-laws issued by the Department of Commerce on 25.07.2024 only shall be entitled to avail the facility of remote e- voting as well as voting at the AGM.

d) The persons who become member of the Council after dispatch of Notice, as of cut-off date i.e. 23.12.2025, may obtain LOGIN ID AND PASSWORD by sending a request at evoting@nsdl.com

e) Members are requested to carefully read all the Notes set out in the Notice of the AGM and in particular, instructions for joining the AGM, manner of casting vote through remote e-voting or E-voting during the AGM and the notice to members published in the newspaper dated **03.12.2025.**

f) Notice of Annual General Meeting is available on the website of the Council i.e. www.aepcindia.com and at website of the NSDL i.e. www.evoting.nsdl.com.

g) In case of any queries, you may refer the Frequently Asked Questions (FAQs) for Shareholders/Members and e-Voting user manual for Shareholders available at the download section of www.evoting.nsdl.com or send a request at evoting@nsdl.com or contact Mr. Amit Vishal, Deputy Vice President or Ms. Pallavi Mhatre, Assistant Vice President, National Securities Depository Ltd., Trade World, "A" Wing, 4th Floor, Kamala Mills Compound, Senapati Bapat Marg, Lower Parel, Mumbai-400013, at the designated email IDs: evoting@nsdl.com or AmitV@nsdl.com or pallavid@nsdl.com or at telephone nos.: 022-48867000 or 022-24997000, who will also address the grievances connected with the voting by electronic means.

h) Members may note that: a) the remote e-Voting module shall be disabled by NSDL after the aforesaid date and time for voting and once the vote on a resolution is cast by the Member, the Member shall not be allowed to change it subsequently; b) the Members who have cast their vote by remote e-Voting prior to the 46th AGM may participate in the 46th AGM through VC/OAVM facility, but shall not be entitled to cast their vote again through the e- Voting system during the 46th GM; c) the Members participating in the 46th AGM and who had not cast their vote by remote e-Voting, shall be entitled to cast their vote through e-Voting system during the 46th AGM; and d) a person whose name is recorded in the Register of Members maintained by the Council as on the cut-off date and registered exporters, who fulfill the eligibility criteria provided in the model bye-laws issued by the Department of Commerce on 25.07.2024 are entitled to avail the facility of remote e-Voting, participating in the 46th AGM through VC/OAVM Facility and e-Voting during the AGM.

i) Further in terms of Section 91 of the Companies Act 2013, the Register of Members shall remain closed from **24.12.2025** to **30.12.2025** (both days inclusive) for the purpose of AGM.

For Apparel Export Promotion Council

Date : 03/12/2025

Sumit Gupta

एपैरेल एक्सपोर्ट प्रोमोशन काउंसिल

पंजीकृत कार्यालय : ए–223, ओखला औद्योगिक क्षेत्र, फेस–1 नई दिल्ली–110020
सीआईएन: U74899DL1978NPL008877 टेलीफोन : 011–40501798
ईमेल : aepcokhla@aepcindia.com वेबसाइट : www.aepcindia.com

सूचना

कंपनी अधिनियम, 2013 के लागू प्रावधानों और उसके तहत बनाये गये नियमों के साथ पठित कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय ("एमसीए परिपत्र/त्रों") द्वारा क्रमशः जारी सामान्य परिपत्र संख्या: 14/2020, दिनांक 08 अप्रैल, 2020, 17/2020, दिनांक 13 अप्रैल, 2020, 20/2020 दिनांक 05 मई, 2020 02/2021 दिनांक 13 जनवरी, 2021, 02/2022 दिनांक 05 मई, 2022, 09/2023 दिनांक 25 सितंबर, 2023, 09/2024 दिनांक 19 सितंबर, 2024, और 03/2025 दिनांक 22 सितंबर, 2025 एवं अन्य अधिमान्य परिपत्रों के अनुपालन में वार्षिक आम बैठक (एजीएम) बुलाने की सूचना में दिए गए कार्यों को निष्पादित करने हेतु सामान्य स्थल पर सदस्यों की भौतिक उपस्थिति के बिना, परिषद् की 46वीं वार्षिक आम बैठक (एजीएम) का आयोजन मंगलवार, दिनांक **30 दिसम्बर, 2025** को पूर्वाह्न 11.00 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ("वीसी")/अन्य आडियो विजुअल मीन्स("ओएवीएम") सुविधा के माध्यम से किया जायेगा।

एमसीए के परिपत्र/त्रों के अनुसार, 46वीं एजीएम की सूचना एवं 31 मार्च, 2025 ("वार्षिक रिपोर्ट") को समाप्त वर्ष के लिए लेखापरीक्षित वित्तीय विवरणों सहित वर्ष 2024–2025 की वार्षिक रिपोर्ट, केवल उन सभी सदस्यों को ई–मेल द्वारा भेजी गई है, जिनके ई–मेल पते परिषद् के पास पंजीकृत हैं। कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय के परिपत्र/परिपत्रों में की गई व्यवस्था के अनुसार, 46वीं वार्षिक आम बैठक एवं वार्षिक रिपोर्ट की भौतिक प्रतियां सदस्यों को भिजवाई जानी अपेक्षित नहीं हैं।

कंपनी (प्रबंधन एवं प्रशासन) संशोधन नियमावली, 2015 के नियम 20(2) के साथ पठित धारा 108 के अनुसरण में 46वीं वार्षिक आम बैठक के सभी संकल्पों का निष्पादन ई–वोटिंग के माध्यम से किया जाना है। तदनुसार, यह अनुरोध है कि कृपया परिषद की वेबसाइट अर्थात www.aepcindia.com पर उपलब्ध ***"कार्यकारी सदस्यों के चुनाव के अलावा संकल्पों की ई–वोटिंग से संबंधित नियम"*** तथा **"कार्यकारी सदस्यों के चुनाव से संबंधित नियम"** से संदर्भ प्राप्त कर लें।

कृपया यह भी ध्यान दें कि कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय द्वारा दिनांक 08 अप्रैल, 2020 के परिपत्र संख्या 14/2020 के अनुसरण में इस वार्षिक आम बैठक में उपस्थिति एवं वोट करने के लिए प्रॉक्सी नियुक्त करने की सुविधा उपलब्ध नहीं होगी। तथापि, कॉर्पोरेट संकाय को वीडियो कांफ्रेंसिंग/अन्य ऑडियोविजुअल विधियों ("ओएवीएम") के माध्यम से आयोजित की जा रही वार्षिक आम बैठक में भाग लेने एवं ई–वोटिंग के माध्यम से वोट देने के लिए प्राधिकृत प्रतिनिधियों को नियुक्त करने की पात्रता प्राप्त होगी।

कृपया ध्यान दें कि वाणिज्य विभाग, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार ने पत्र संख्या एफ. 13/3/2023–ई और एमडीए–डीओसी दिनांक 25.07.2024 के माध्यम से ईपीसी/एफआईईओ द्वारा अपनाने के लिए एसोसिएशन/उपनियमों का अंतिम अनुच्छेद जारी किया और केवल नए मॉडल उपनियमों के अनुसार चुनाव कराने का निर्देश दिया।

तदनुसार, परिषद की कार्यकारी समिति ने **01 दिसम्बर, 2025** (सोमवार) को आयोजित अपनी बैठक में कार्यकारी समिति के सदस्यों के चुनाव के लिए **30 दिसम्बर, 2025** (मंगलवार) को सुबह 11:00 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से परिषद की 46वीं वार्षिक आम बैठक आयोजित करने का निर्णय लिया, जो एसोसिएशन के नए मॉडल अनुच्छेद/उपनियमों के अनुसार 46वीं एजीएम में सेवानिवृत्त होने वाले थे।

चुनाव लड़ने वाले सदस्य कृपया कार्यकारी समिति के सदस्यों के चुनाव के लिए मॉडल उपनियम, नामांकन फार्म और चुनाव नियमों को परिषद की वेबसाइट www.aepcindia.com से देखें और डाउनलोड करें।

सदस्य **16.12.2025** को कार्य समय समाप्त होने तक 1,00,000/– (एक लाख रूपए केवल) जमा करवाने के पश्चात अपने नामांकन दस्तावेज भौतिक रूप से परिषद के पंजीकृत कार्यालय में प्रस्तुत कर सकते हैं अथवा वे 1,00,000/– रूपए (एक लाख रूपए केवल) जमा करवाने के इलैक्ट्रानिक जमा/विवरण के साथ अपने नामांकन दस्तावेज दिनांक **16.12.2025** को समय समाप्त होने तक, ई–मेल पते sumit.gupta@aepcindia.com के माध्यम से प्रस्तुत कर सकते हैं। यह जमा धनवापसी केवल उन्हीं सदस्यों को वापस की जाएगी, जो कार्यकारी समिति के सदस्य के चुनाव में या तो सफल होंगे अथवा जिन्हें ई–वोटिंग के माध्यम कुल मान्य 25 प्रतिशत से अधिक वोट प्राप्त होगें।

इसके अलावा, कार्यकारी समिति के सदस्यों की चुनाव नियमावली के नियम 14 के अनुसरण में कार्यकारी समिति के सदस्य के चुनाव में भाग लेने वाले उम्मीदवार अपने नामांकन फार्म में किए गए हस्ताक्षरों के समान हस्ताक्षर युक्त फार्म–II को प्रस्तुत करके, अपना नामांकन वापस ले सकते हैं। नामांकन वापसी के ऐसे अनुरोध परिषद के पंजीकृत कार्यालय/क्षेत्रीय कार्यलय में दिनांक **19.12.2025** को व्यवसाय समय समाप्त होने अथवा नामांकन प्राप्त होने की अंतिम तिथि के तीन दिन के भीतर प्रस्तुत किए जाने चाहिए अथवा इन्हें दिनांक **19.12.2025** को समय समाप्त होने तक ई–मेल पते sumit.gupta@aepcindia.com के माध्यम से प्रस्तुत किया जाना चाहिए। इसमें उल्लिखित निर्धारित समयावधि में नामांकन वापस लिए जाने की स्थिति में नामांकन के लिए जमा करवाई गई धनराशि की धनवापसी कर दी जाएगी।

विदेश व्यापार नीति 2023 की प्रक्रिया पुस्तिका के पैराग्राफ 2.77 और 2.78 के प्रावधानों तथा कंपनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) की धारा 108 के प्रावधानों के अनुसार, जिसे कंपनी (प्रबंधन और प्रशासन) नियम, 2014 के नियम 20 के साथ पढ़ा जाए, जिसे कंपनी (प्रबंधन और प्रशासन) संशोधन नियम, 2015 (नियमावली) द्वारा संशोधित किया गया है, परिषद अपने सदस्यों को ई–वोटिंग की सुविधा प्रदान करके प्रसन्न है, जिससे वे 46वीं एजीएम में एजीएम की सूचना में निर्धारित सभी प्रस्तावों पर इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से अपना वोट डाल सकेंगे।

वार्षिक आम बैठक ("रिमोट ई–वोटिंग") के अलावा किसी अन्य स्थल से सदस्यों को अपना वोट इलैक्ट्रानिक वोटिंग सिस्टम के उपयोग से करने तथा बैठक के दौरान ई–वोटिंग की सुविधा नेशनल सिक्योरिटिज डिपोजिटरी लिमिटेड ("एनएसडीएल") द्वारा उपलब्ध करवाई जाएगी।

अधिनियम तथा नियमावली के नियम 20 के प्रावधानों के अनुसार किए जाने वाले अनुपालन का विवरण नीचे दिया गया है:

क) वार्षिक आम बैठक के संबंध में दिनांक **01.12.2025** के नोटिस में सूचीबद्ध सभी संकल्पों (कार्यकारी समिति के सदस्यों के चुनाव सहित) पर केवल इलैक्ट्रानिक विधियों से ही संव्यवहार किया जाना है।

ख) रिमोट ई–वोटिंग दिनांक **27.12.2025** (शनिवार) को प्रातः 9.00 बजे प्रारंभ होगी तथा दिनांक **29.12.2025** (सोमवार) को सायं 5.00 बजे समाप्त होगी। दिनांक **29.12.2025** को सायं 5.00 बजे के पश्चात रिमोट ई–वोटिंग की अनुमति नहीं दी जाएगी।

ग) वार्षिक आम बैठक में मतदान के साथ–साथ रिमोट ई–वोटिंग द्वारा मतदान करने की पात्रता निर्धारण करने की कट–ऑफ तारीख **23.12.2025** (मंगलवार) है, तथा जिन सदस्यों का नाम कट–ऑफ तिथि को परिषद द्वारा बनाए गए रजिस्टर में दर्ज है और पंजीकृत निर्यातक, जो **25.07.2024** को वाणिज्य विभाग द्वारा जारी मॉडल उप–नियमों में प्रदान की गई पात्रता मानदंडों को पूरा करते हैं, वे ही रिमोट ई–वोटिंग के साथ–साथ एजीएम में मतदान की सुविधा का लाभ उठाने के हकदार होंगे।

घ) नोटिस के प्रेषण के पश्चात यदि कोई कट–ऑफ तिथि अर्थात **23.12.2025** तक परिषद की सदस्यता धारण करता है तो वह evoting@nsdl.com के माध्यम से अपना लॉगिन आईडी एवं पासवर्ड प्राप्त करने का अनुरोध कर सकता है।

ङ) सदस्यों से यह अनुरोध है कि वे वार्षिक आम बैठक के नोटिस में दिए गए प्रत्येक नोट एवं विशेषतः वार्षिक आम बैठक में भाग लेने के निर्देशों, रिमोट ई–वोटिंग अथवा वार्षिक आम बैठक के दौरान ई–वोटिंग एवं दिनांक **03.12.2025** के समाचार पत्रों में सदस्यों के लिए प्रकाशित नोटिस का ध्यानपूर्वक अध्ययन कर लें।

च) वार्षिक आम बैठक का नोटिस परिषद की वेबसाइट www.aepcindia.com पर तथा एनएसडीएल की वेबसाइट www.evoting.nsdl.com पर भी उपलब्ध है।

छ) यदि आप कोई प्रश्न पूछना चाहते हैं तो आप www.evoting.nsdl.com के डाउनलोड सेक्शन में उपलब्ध शेयरधारकों/सदस्यों द्वारा अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्नों (एफ.ए.क्यू.) तथा शेयरधारकों के ई–वोटिंग उपयोक्ता मैनुअल से संदर्भ प्राप्त कर सकते हैं अथवा evoting@nsdl.com को अनुरोध प्रस्तुत कर सकते हैं अथवा नेशनल सिक्योरिटिज डिपोजिटरी लिमिटेड, ट्रेड वर्ल्ड, "ए" विंग, चौथा तल, कमला मिल्स कम्पाउंड, सेनापति बापत मार्ग, लोअर परेल, मुम्बई –400013 में श्री अमित विशाल, उप उपाध्यक्ष या सुश्री पल्लवी म्हात्रे, सहायक उपाध्यक्ष से उनके निर्दिष्ट ईमेल पते : evoting@nsdl.com अथवा AmitV@nsdl.com अथवा pallavid@nsdl.com अथवा टेलीफोन नम्बर: 022–48867000 या 022–24997000 पर सम्पर्क कर सकते हैं, जो इलैक्ट्रानिक माध्यम से वोटिंग करने से संबंधित आपके प्रश्नों के उत्तर देंगे।

ज) सदस्य, कृपया यह ध्यान दें कि : क) एनएसडीएल द्वारा ऊपर उल्लिखित तिथि एवं समय के अनुसार रिमोट ई–वोटिंग माड्यूल को बंद कर दिया जाएगा तथा किसी सदस्य द्वारा किसी संकल्प पर एक बार वोट देने के पश्चात उसमें कोई बदलाव करने की अनुमति सदस्य को नहीं दी जाएगी; ख) 46वीं वार्षिक आम बैठक में भाग लेने से पूर्व रिमोट ई–वोटिंग के माध्यम से वोट कर चुके सदस्य वीडियो कांफ्रेंसिंग/अन्य ऑडियो विजुअल विधियों के माध्यम से 46वीं वार्षिक आम बैठक में भाग ले सकते हैं परन्तु 46वीं वार्षिक आम बैठक के आयोजन के दौरान उन्हें ई–वोटिंग सिस्टम द्वारा पुनः वोट देने की अनुमति नहीं होगी; ग) 46वीं वार्षिक आम बैठक में भाग लेने वाले ऐसे सदस्यों को 46वीं वार्षिक आम बैठक के दौरान ई–वोटिंग सिस्टम से वोट डालने की अनुमति प्राप्त होगी, जिन्होंने रिमोट ई–वोटिंग द्वारा पहले अपना वोट नहीं दिया है; तथा घ) ऐसे व्यक्ति को जिसका नाम कट–ऑफ तारीख को परिषद द्वारा बनाए गए सदस्यों के रजिस्टर में दर्ज है और पंजीकृत निर्यातक, जो 25.07.2024 को वाणिज्य विभाग द्वारा जारी मॉडल उप–नियमों में प्रदान की गई पात्रता मानदंडों को पूरा करते हैं, वे दूरस्थ ई–वोटिंग की सुविधा का लाभ उठाने, वीसी/ओएवीएम सुविधा के माध्यम से 46वीं वार्षिक आम बैठक में भाग लेने और एजीएम के दौरान ई–वोटिंग करने के हकदार हैं।

झ) इसके अलावा कंपनी अधिनियम, 2013 के खंड 91 के उपबंधों के अनुसार सदस्यों का रजिस्टर वार्षिक आम बैठक के उद्देश्य से दिनांक **24.12.2025** से दिनांक **30.12.2025** (दोनों दिन सहित) तक बंद रखा जाएगा।

कृते एपैरेल एक्सपोर्ट प्रोमोशन काउंसिल

दिनांक : 03/12/2025 — सुमित गुप्ता

स्थान : नई दिल्ली — कंपनी सचिव

Jansatta 4/12/2025